न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

दुर्गाप्रसाद आदि बनाम तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा प्राप्त दफा 131, 136 ... मु.नं. 373 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/9/25	प्रार्थी दुर्गाप्रसाद पुत्र हरदेवाराम जाति मीणा निवासी ग्राम बोसाना तहसील धोद जिला सीकर द्वारा आवेदन विषयक ग्राम बोसाना के खाता सं. 107, 106 व 277 में तरमीम दुरूस्ती करने बाबत के अनुसार "ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 107, 106 व 277 का सहमति विभाजन तहसील कार्यालय, सीकर के आदेश क्रमांक 3673 दिनांक 17.07.2012 को हुआ था, जिसमें दुर्गाप्रसाद पुत्र हरदेवा हिस्सा 1/2, मोहनलाल पुत्र हरदेवा हिस्सा 1/2 जाति मीणा के खसरा सं. 627 के 5 बट्टा नम्बर पड़े थे, जिसमें 627 मीन मध्यमें एक नया कुआ बना हुआ था, का रकबा 0.0100 हेक्टेयर था तथा मध्य–उत्तर की तरफ एक शामलाती रास्ते हेतु नम्बर बनाया था, का रकबा 0.0400 हेक्टेयर रखा था। लेकिन नामान्तरकरण दर्ज करते समय व नक्शा में तरमीम करते हुये कुए के खसरे का नम्बर रास्ते को व रास्ते वाले का नम्बर कुए वाले खसरे का कर दिया गया, जो गलत हो गया था तथा धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट, 1956 में रास्ता प्रस्ताव के समय कुए दो टुकड़े कर रकबा 0.0096 हेक्टेयर व रकबा 0.0004 हेक्टेयर के दो नम्बर बनाये गये, जो गलत है। अतः निवेदन है कि वर्तमान खसरा सं. 1092/892 रकबा 0.0096 हेक्टेयर गै.मु. रास्ता, खसरा सं. 1091/892 रकबा 0.0004 हेक्टेयर बारानी–। के स्थान पर खसरा सं. 892/627 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म चाही तथा वर्तमान खसरा सं. 891/627 रकबा 0.0400 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा सं. 1092/891 रकबा 0.0096 हेक्टेयर गै. मु.रास्ता व खसरा सं. 1091/891 रकबा 0.0304 हेक्टेयर बारानी–। के अनुसार खसरा व रकबा को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जावें।" उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू. अ./25/1734 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। जो कि मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है। प्रकरण अ.धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./25/1734 दिनांक 11.09.2025 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के वर्तमान खसरा सं. 1092/892 रकबा 0.0096 हेक्टेयर गै.मु.रास्ता, खसरा सं. 1091/892 रकबा 0.0004 हेक्टेयर बारानी–। के स्थान पर खसरा सं. 892/627 रकबा 0.0100 हेक्टेयर किस्म चाही तथा वर्तमान खसरा सं. 891/627 रकबा 0.0400 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा सं. 1092/891 रकबा 0.0096 हेक्टेयर गै.मु.रास्ता व खसरा सं. 1091/891 रकबा 0.0304 हेक्टेयर बारानी–। के अनुसार खसरा व रकबा को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा में तरमीम दुरूस्ती तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

दुर्गाप्रसाद .... बनाम .... तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा .... 91 राज भू-राज. अधि. 136 .... मु.नं. 373 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	पटवार हल्का व भू.अ.नि. की संयुक्त रिपोर्ट दिनांकित 14.08.2025 में दर्शित नजरी नक्शा व विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार मौके के अनुसार तरमीम व रकबा ऑनलाईन/ऑफलाईन नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में दुरूस्त किया जावें। उक्त की पालना करते समय यह ध्यान में रखा जावें कि उक्त तरमीम दुरूस्ती करने से किसी भी सीमा से लगते हुये प्रार्थीपक्ष/खातेदारान के खसरानों के अलावा अन्य खसरानों के रकबे व स्थिति में परिवर्तन नहीं हों। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान जिम्मेदार होगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./25/1734 दिनांक 11.09.2025 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (जिला–सीकर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) धोद जिला सीकर

क्रमांक : भू.अ./25/ 1734 दिनांक : 18./ ~~अगस्त~~ सितम्बर / 2025

प्रेषिती :

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय , धोद
जिला सीकर ।

विषय: - प्रार्थना पत्र श्री दुर्गा प्रसाद आदि जाति मीणा निवासीगण ग्राम बोसाना तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राम बोसाना के खाता संख्या 107,106,व 277में तरमीम दुरुस्ती के संबन्ध में सुस्पष्ट रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

प्रसंग: श्रीमान जी के पत्रांक/रीडर/25/628 दिनांक 28.07.2025 के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त रिपोर्ट हेतु पटवारी हल्का बोसाना को आदेशित किया गया ,जिसके आशय में पटवारी हल्का बोसाना द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई । मुताबिक दस्तावेजात तथा फर्द मौका अनुसार मौके की स्थिति व आवेदकगण के आवेदन के अनुसार , व रिपोर्ट पटवारी हल्का बोसाना के तरमीम दुरुस्ती किये जाने की अभिशंषा की जाती है ।

पटवारी हल्का बोसाना द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट,दस्तावेज ,फर्द मोका रिपोर्ट ,आवेदकगण की आई. डी सलंग्न कर श्रीमानजी को सादर प्रेषित है ।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) 9/9/25
तहसीलदार (भू. अ.)
धोद (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
धोद, जिला सीकर

विषय:- प्रार्थीगण श्री दुर्गाप्रसाद आदि जाति मीणा निवासीगण ग्राम कोसाना तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राम कोसाना के खसरा नं. 107,106,277 आदि में नामान्तकरण [illegible] के संबंध में सुस्पष्ट रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है की माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद के पत्रांक/रीडर/2025/628 दिनांक 28/7/25 एवं श्रीमान के पत्रांक/भू.अ./25/1535 दिनांक 1/8/25 की पालना में खसरा नं. 1090/892, 1091/892 तथा 891/627 का मौका निरीक्षण कृषक मौजूदगान व खातेदारान के किया गया जिसका फर्द मौका संलग्न कर सादर प्रेषित है। तथा आवेदक गण ने सामूहिक रूप से आवेदन प्राप्त कर संलग्न है। तथा सभी खातेदारान के आधार की हस्त प्रति से मिलान कर छाया प्रति स्वयं हस्ताक्षरित करवा कर संलग्न कि गई है। विभाजन अधिसूचना क्रमांक/3673 दिनांक 17.02.2012 प्रति, नामा. क्र. सं. 954 दिनांक 3/08/2012 की प्रमाणित प्रति संलग्न कर दी गई है। तथा ख.नं. 892/627 रकबा 0.01 में से धारा 131,132 में रकबा 0.0096 है गैर.रास्ता दर्ज हुआ है की प्रति तथा नामा संख्या 1549 दिनांक 22/8/22 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा निम्न संशोधन चाहा गया है।

क्र.सं.	वर्तमान स्थिति ख.नं.	रकबा	किस्म	दुरुस्ती हेतु क्र.	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	1090/892	0.0096	गैर.रास्ता	1	892/627 (भाग)	0.01	बारानी I
2	1091/892	0.0004	बारानी	2	1090/891	0.0096	गैर.रास्ता
3	891/627	0.04 हे०	बारानी I	3	1091/891	0.0304	बारानी I

P-Patel
पटवारी
14/08/25

निरीक्षक
14-08-2025
ILR [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निरन्तर

पृ.सं. 02

पूर्वांकित संशोधन। रिकार्ड दुरुस्ती में किसी भी खातेदार की खातेदारी। रकबा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तथा ना ही मौके पर कोई परिवर्तन हो रहा है। प्रकरण विषय के उक्त खसरों पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तथा ना ही कोई अन्य प्रकरण विचाराधीन है।

प्रार्थीगण के आवेदन, जमाबन्दी नक्शा। रिकार्ड का अवलोकन तथा मौका स्थिति के अनुसार तथा नामा करणो। आदेशो का अवलोकन के आधार पर ख.न. 1092/892 रकबा 0.0096 गै.मु रास्ता तथा ख.न. 1091/892 रकबा 0.0004 है के बजाय खसरा नम्बर 892/627 रकबा 0.01 है किया जाना तथा ख.न. 891/627 रकबा 0.04 है. के बजाय 1092/891 रकबा 0.0096 है गै.मु रास्ता तथा ख.न. 1091/891 रकबा 0.0304 है आराजी किया जाना उचित है। उक्त नक्शा दुरुस्ती से कोई खातेदार। गैर खातेदार पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा ना ही राज्य हित प्रभावित होगा। रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

[signatures]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

14/08/2025

संलग्न :- ① फर्द मौका
② नजरी नक्शा व जमाबन्दी
③ नामा.सं. 954 विभाजन व आदेश
④ नामा.सं. 1549 - नामा. आदेश
⑤ खातेदारों का आवेदन व पहचान - पत्र मय शपथ पत्र।

फर्द मौका

आज दिवस को श्रीमान तहसीलदार महोदय चोहटन के
आदेश क्रमांक/LR/25/1535 दिनांक 01-08-2025 की पालना मे
पूर्व सूचना के ग्राम चोहटन परगना सर्कल चोहटन के
खसरा नम्बर 1090/892, 1091/892 तथा ख.नं. 891/627 का
मौका निरीक्षण हल्का मोतबिरान तथा खातेदारान के साथ
मे किया गया। जिसकी खातेदारी वर्तमान मे दुर्गाप्रसाद पुत्र
हरडेवा हिस्सा ½ साहिब स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा
लोसल, मोहनलाल पुत्र हरडेवा हिस्सा ½ जाति मीणा सा. देहखातेदार
दर्ज होकर ख.नं. 1090/892 रकबा 0.0096 हैक्टेयर गैर मु. राला तथा
1091/892 रकबा 0.0004 हैक्टेयर बारानी I तथा खसरा 891/627
रकबा 0.04 हैक्टेयर बारानी I दर्ज रिकार्ड है। उपस्थित खातेदारान
ने बताया कि सम्पत्ति विभाजन ख.नं. 627 के मध्य एक
चाह (कुआ) बना हुआ था का 100 वर्ग मीटर का
रकबा शामिल मे रखा था जो कि आज दिवस
को भी मौके पर होकर चाह शामिल है जिसका रकबा
तकरीबन 0.01 हैक्टेयर है तथा खातेदारान ने मौके पर चाह
से उत्तर की तरफ होता हुआ उत्तरी सीम के पास
पूर्व की तरफ घुमता एक रास्ता रखा गया था
जिस बाबत 400 वर्ग मीटर भूमि गैरमुमकिन रखी गयी
थी। वर्तमान मे उक्त भूमि रकबा 0.04 हैक्टेयर रास्ते के
रूप मे गैरमुमकिन जायदाद है। प्रार्थीगण के आवेदन का
अवलोकन किया गया। आवेदन अनुसार शुद्धि करवाना
चाहते है जो भी सही है। फर्द मौका हाजरिन को
पढ़कर सुनाया व दस्तखत किये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

दुर्गाप्रसाद

प. हल्का
14/08/2025

14-08-2025
ILR चोह